



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2926 /अकादमी/संबं/2019  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03-08-2019

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा म.प्र. शासन  
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय:- निजी महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग तथा कर्मचारियों का वीमा एवं भविष्य निधि।

संदर्भ : आपका अर्धशासकीय पत्र क्र. 1367 दिनांक 22.07.2019

आदरणीय महोदय,


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निजी महाविद्यालयों से जानकारी मंगाये जाने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट -[www.bubhopal.ac.in](http://www.bubhopal.ac.in) पर विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य को संबोधित पत्र दिनांक 26.07.2019 के द्वारा जानकारी अविलम्ब प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया तथा निजी महाविद्यालयों के Mail address पर भी पत्र भेजे गये।

- दिनांक 31.07.2019 को पुनः स्मरण पत्र इस निर्देश के साथ प्रस्तुत किया गया विश्वविद्यालय के मेल पर कि आवश्यक रूप से दो दिन के अन्दर उक्त जानकारी उपलब्ध कराये।
- दिनांक 31.07.2019 को ही स्मरण पत्र परीक्षा केन्द्रों (महाविद्यालयों) के ग्रुप को Whatsapp किया गया कि अपना जबाब निर्धारित प्रपत्र में भर कर आयुक्त कार्यालय के मेल [commhead@mp.gov.in](mailto:commhead@mp.gov.in) में अविलम्ब दिनांक 01.08.2019 तक प्रस्तुत करते हुए विश्वविद्यालय के मेल -[bunew2019@gmail.com](mailto:bunew2019@gmail.com) पर भी प्रेषित करें। जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो सके।
- दो-तीन महाविद्यालयों के जबाब आये है जिनमें से कुछ के जबाब बहुत ही आवश्यक है।

पुनः निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यों को पत्र द्वारा पुनः निर्देशित किया जा रहा है कि दिनांक 07.08.2019 को वे निर्धारित प्रपत्र में जानकारी विश्वविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा महाविद्यालय एवं प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। (पत्र क्र. 03.08.2019 संलग्न) महाविद्यालयों को कई स्मरण पत्र विभिन्न श्रोतों द्वारा दिये जाने के उपरांत भी निर्देशों के पालन में गम्भीरता नहीं दिखाते हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आगामी कार्यवाही हेतु निर्देशित करना चाहें।

आदेशानुसार



कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 03-08-2019

पृ0क्रमांक 2927 /अकादमी/संबं/2019

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संबद्धता शाखा उच्च शिक्षा म.प्र.
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
5. प्रभारी आई.टी.सेल व.वि.वि. भोपाल कृपया पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
सहायक-कुलसचिव, अकादमी